<u>नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960</u>

<u>पुनर्वास और नियोजन महानिदेशालय</u>
<u>सा. का. नि. - 477 तारीख 26 अप्रैल, 60</u>

केन्द्रीय सरकार, नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (1959 का 31)की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित में नियम बनाती हैं जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (1)की अपेक्षानुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्

1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ः-</u> (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 है।

(2) ये नियम 1 मई, 1960 को प्रवृत्त होंगे।

2. <u>परिभाषाएं ः-</u> इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(1) "अधिनियम" से नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (1959 का 31) अभिप्रेत है ;

(2) "केन्द्रीय नियोजनालय" से श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित कोई नियोजनालय अभिप्रेत हैं ;

(3) "निदेशक" से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के नियोजनालयों के प्रशासनिक निदेशालय का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत हैं ;

(4) "प्ररुप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(5) "स्थानीय नियोजनालय" से -

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में (केन्द्रीय नियोजनालय से भिन्न) वह नियोजनालय अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र पर, जिसमें संबंधित स्थापन स्थित है या उस क्षेत्र में अथवा विनिर्दिष्ट वर्गे या प्रवर्गे के स्थापनों या रिक्तियों पर अधिकारिता रखने वाले के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; और

(ख) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वह नियोजनालय अभिप्रेत है, जिसे चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा या पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वर्गो या प्रवर्गो के स्थापनों या रिक्तियों पर अधिकारिता रखने वाले के रूप में उस राज्य के अपने राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, परंतु यह कि पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियोजनालयों की

(i) अपने अपने राज्य के पब्लिकसैक्टर कार्यालयों / स्थापनों से भिन्न पद; और

(i i) प्राइवेट सैक्टर स्थापनों पर,

अधिकारिता नहीं होगी।

(6) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है

3. <u>नियोजनालय जिन्हें रिक्तियां अधिसूचित की जानी हैं -</u> (1) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात -

(क) ऐसी रिक्तियें जो प्रतिमास चार सौ रूपए या अधिक के मूल वेतन में स्थापन के तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों की है, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार अधिनियम के अधीन समुचित सरकार है, और

(ख) ऐसी रिक्तियां जिन्हें कोई नियोजक उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से, जिसमें वह स्थापन स्थित है, बाहर के नियोजनालय में परिचालित किए जाने की इच्छा रखता है,

ऐसे केन्द्रीय नियोजनालय को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिसूचित की जाएंगी ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रिक्तियां से भिन्न संबंधित स्थानीय नियोजनालयों को अधिसूचित की जाएगी।

4. रिक्तियें की अधिसूचना का प्ररूप और रीति - (1) रिक्तियां समूचित नियोजनालयों को लिखित रूप में अधिसूचित की जाएंगी और प्रत्येक प्रकार की रिक्तियों के लिए जहां तक व्यवहार्य हों, पृथक पृथक ब्यौरे निम्नलिखित प्ररूप में दिएं जाएंगे

नियोजनालयों से आवेदकों को बुलाए जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अध्यपेक्षा प्ररूप

(प्रत्येक प्रकार के पदों के लिए पृथक प्ररूप का प्रयोग करें)

1. नियोजक का नाम, पता और टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)।

2. मांगकर्ता अधिकारी का नाम पदनाम और टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)।

1. रिक्ति की प्रकृति ः

(क) भरे जाने वाले पद का नाम ....

(ख) कर्त्तव्यों का वर्णन ....

(ग) अपेक्षित अर्हताएं ....

पूर्विकता प्रवर्गो के लिए अन्य के लिए

केवल केन्द्रीय सरकार के पदों को लागू

(i) आवश्यक

(i i) वांछनीय

(घ) आयुसीमा, यदि कोई हो

(ङ) क्या महिलाएं पात्र है ।

2. कालावधि के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या पदें की संख्या

कालावधि

(क) स्थायी

....

(ख) अस्थायी ....

(i) तीन माह से कम ....

(ii) तीन मास से एक वर्ष के बीच

....

(iii) एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने वाले

....

5. क्या रिक्तियों को भरने में किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक निशक्त व्यक्तियों को अधिमानता देने के लिए किसी ठहराव के लिए कोई बाध्यता है और यदि हां तो ऐसे प्रवर्गो के व्यक्तियों से भरी जाने वाली रिक्तियें की संख्या ः-

प्रवर्ग	योग	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्यांक * पूर्विकता प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा (केवल केन्द्रीय सरकार के पदों को लागू)
(क) अनुसूचित जाति	----------------------------	----------------------------
(ख) अनुसूचित जनजाति	----------------------------	----------------------------

(ग) भूतपूर्व सैनिक	----------------------------	----------------------------
(घ) शारीरिक निशक्त	----------------------------	----------------------------
(ङ) अन्य	----------------------------	----------------------------
6. वेतन और भत्ते	----------------------------	
7. कार्य का स्थान (नगर, ग्राम और जिला जिसमें वह स्थित है)	--	
8. अधिसंभाव्य तारीख जिस तक रिक्ति भरी जाएगी	--	
9. आवेदकों के साक्षात्कार / परीक्षण के संबंध में विशिष्टियां	--	
(क)	--	

साक्षात्कार/परीक्षण की तारीख	
(ख) साक्षात्कार/परीक्षण का समय	--
(ग) साक्षात्कार/परीक्षण का स्थान	--
(घ) उस अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन सं0 (यदि कोई हो) जिसे आवेदक को रिपोर्ट करना चाहिए	--
10. कोई अन्य सुसंगत सूचना	--

* प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग करते समय, सेवा में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों से संबंधित अनुदेशों का, इन आदेशों के अनुसार रखे गए रोस्टर को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए, कड़ाई से पालन किया गया है। (केन्द्रीय सरकार के केवल उन सभी कार्यालयों/स्थापनों/उपक्रमों आदि द्वारा दिया जाएगा जिन पर आरक्षण आदेश लागू होते हैं।)

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

तारीख

*(यदि लागू न हो तो काट दें)

(2) उपनियम (1) के अधीन नियोजनालय को पहले ही दी गई विशिष्टियों में यदि कोई परिवर्तन है तो समुचित नियोजनालय को रिक्तियों की लिखित अधिसूचना दी जाएंगी।

5. <u>रिक्तियों की अधिसूचना के लिए समय सीमा ः-</u>(1) ऐसी रिक्तियों को, जो स्थानीय नियोजनालयों का अधिसूचित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, इस दशा में जहां साक्षात्कार या परीक्षा आयोजित की जानी है, वहां उस तारीख से, जिसको आवेदकों से साक्षात्कार किया जाएगा या उनका परीक्षण किया जाएगा या यदि साक्षात्कार या परीक्षण आयोजित नहीं की जानी है तो उस तारीख से, जिसको रिक्तियों भरे जाने के लिए आशयित हों, कम से कम 15 दिन पूर्व अधिसूचित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय नियोजनालय को अधिसूचित की जाने की अपेक्षित रिक्तियां अधिसूचित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार या परीक्षण लेने या नियुक्ति के प्रयोजन के लिए भावी अभ्यर्थियों की विशिष्टियों या आवेदन को भेजने की तारीख से केन्द्रीय नियोजनालय अधिसूचना प्राप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले अधिसूचित की जाएगी।

(3) चयन के परिणाम की सूचना नियोजक चयन की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबंद्ध नियोजनालय को भेजेगा।

6. <u>विवरणी प्रस्तुत करना ः-</u> नियोजक स्थानीय नियोजनालय को त्रैमासिक विवरणी प्ररूप नि वि-I और द्विवार्षिक विवरणी प्ररूप नि.वि -II में भेजेगा। त्रैमासिक विवरणियां नियत तारीखों अर्थात 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसंबर, के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी, द्विवार्षिक विवरणियां राजपत्र में अधिसूचित नियत तारीख के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी।

7. <u>धारा **6** के प्रयोजनों के लिए अधिकारी ः-</u> निदेशक को, ऐसे अधिकारी के रूप में विहित किया जाता है जो धारा 6 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करेगा या किसी व्यक्ति को उक्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत करेगा।

8. <u>अधिनियम के अधीन अभियोजन ः-</u> जिस राज्य में स्थापन स्थित हैं के रोजगार निदेशक को अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोग संस्थित करने या उसकी मंजूरी देने या किसी व्यक्ति को लिखित रूप में अभियोग के संस्थित करने या ऐसे संस्थित करने की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत करने वाला अधिकारी विहित किया गया है।

फार्म नि. वि - I

........................को समाप्त होने वाली त्रैमास के लिए स्थानीय नियोजनालय को दी जाने वाली त्रैमासिक विवरणी ।

नियोजन में प्रवृतियों का मूल्याकंन करने में सहायता करने के लिए और श्रमिकों की पूर्ति और मांग के बीच असंतुलन को ठीक करने के लिए नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 के अधीन निम्नलिखित जानकारी अपेक्षित है ।

नियोजक का नाम और पता...

मुख्यालय ....

शाखा कार्यालय ....

कारोबार की प्रकृति/प्रधान क्रियाकलाप ....

1. (क) नियोजन

स्थापन के वेतन पत्रक में व्यक्तियों की कुल संख्या जिसके अंतर्गत कार्य कर रहे स्वत्वधारी/भागीदार/ कमीशन अभिकर्ता/आकस्मिकता निधि से संदाय पाने वाले और संनिर्माण कर्मकार हैं और इसमें अंशकालिक कर्मकार तथा शिक्षु नहीं है । (संख्या में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होना चाहिए जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय स्थापन द्वारा किया जाता है ।)

	पूर्व त्रैमासिक के अंतिम कार्य दिवस को	रिपोर्टाधीन त्रिमास के अंतिम कार्य दिवस को
पुरुष		
स्त्रियां		
योग		

(ख) यदि .... त्रिमास के दौरान रोजगार में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि या कमी होती है तो कृपया किसी वृद्धि या कमी के लिए मुख्य कारण उपदर्शित करें ।

<u>टिप्प्ण ः</u> स्थापनों को उनके द्वारा रिक्तियां भरे जाने के पूर्व, अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रिक्तियों के ब्यौरे नियोजनालयों को अधिसूचित करने के लिए नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम के अधीन उनकी बाध्यताओं के बारे में स्मरण कराया जाता है ।

2. रिक्तियां ः- ऐसी रिक्तियां जिसकी उपलब्ध्यां 60 रू0 प्रतिमास या उससे अधिक है और जो तीन मास से अधिक अवधि के लिए है।

2.(क) त्रिमास के दौरान हुई और अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या और वह संख्या जो त्रिमास .... के दौरान भरी गई हैं ....

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, **1960**

उन रिक्तियों की संख्या जो अधिनियम के क्षेत्र में आती हैं ।				
रिक्तियां	अधिसूचित		भरी गई	स्रोत (उस स्रोत का विवरण दें जिससे भरी गई)
	स्थानीय नियोजनालय	केन्द्रीय नियोजनालय		

1	2	3	4	5

2(ख) उपर्युक्त 2 (क) के अनुसार रिपोर्टाधीन त्रिमास के दौरान हुई सभी रिक्तियों को अधिसूचित न करने का कारण --

....
.

3. जनशक्ति की कमी

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण न भरी गई रिक्तियां/पद

उपजीविका का नाम या पदों का पदाभिधान	न भरी गई रिक्तियों/पदों की संख्या		
	विहित आवश्यक अर्हताएं	आवश्यक अनुभव	अनुभव जो आवश्यक है

1	2	3	4

कृपया किन्हीं अन्य ऐसी उपजीविकाओं की सूची दें, जिनके लिए इस स्थापन को उपयुक्त आवेदक प्राप्त करने में हाल ही में कोई कठिनाई हुई है ।

नियोजक के हस्ताक्षर

सेवा में

नियोजनालय
....
....

टिप्पणी - इस विवरणी का संबंध 31 मार्च/30जून/30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले त्रैमास से है और यह संबद्ध त्रैमास की समाप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर स्थानीय नियोजनालय को भेजी जाएगी ।

फार्म नि. वि -II

स्थानीय नियोजनालय को दो वर्ष में एक बार प्रस्तुत की जाने वाली व्यवसाय विवरणी (सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को यह प्रस्तुत होगी) (नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 के अनुसार)

नियोजक का नाम और पता ....

कारोबार की प्रवृति ....

(कृपया इसका वर्णन करें कि स्थापन किस वस्तु का निर्माण करती है या उसका मुख्य क्रियाकलाप क्या है ?)

1. स्थापन के वेतन चिठ्ठा पर व्यक्तियों की कुल संख्या (विनिर्दिष्ट तारीख पर).......................

(इसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसको स्थापन द्वारा मजदूरी या वेतन का भुगतान होता है।)

2. उपर्युक्त मद 1 में दिए गए सभी कर्मचारियों का व्यवसाय वर्गीकरण ।

(कृपया नीचे हर व्यवसाय के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग दें)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या			
सही शब्द का प्रयोग करें जैसे इंजीनियर (यांत्रिकी); अध्यापक (गृह विज्ञान); विशेष कार्य अधिकारी	पुरूष	महिलाएं	कुल	कृपया जहां तक संभव हो प्रत्येक उपजीविका की उन रिक्तियों की अनुमानित संख्या बताएं

(बीमांकक); सहायक निदेशक (धातु-कर्मी); वैज्ञानिक सहायक (रसायनज्ञ); अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री);				जिन्हें आपके द्वारा अगले कलैण्डर वर्ष में सेवानिवृत्ति/विस्तार या पुनर्गठन के कारण भरने की संभावना हैं।
1	2	3	4	5

कुल ....

नियोजक के हस्ताक्षर

तारीख........................

सेवा में

नियोजनालय ....

(कृपया यहां अपने स्थानीय नियोजनालय का पता लिखें)

टिप्पण ; मद 2 के कालम 4 का योग मद में दी गई संख्या के अनुरूप होना चाहिए।